बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं0–06/खा0 म0 जमुई (क्षतिपूरक)–10/2025– (6)/रा0, पटना–15, दिनांक–

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार, बिहार (लेखा एवं हकदारी),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–15.07.2025 के मद संख्या–20 में दी गई स्वीकृति के आलोक में जमुई जिलान्तर्गत बरनार जलाशय परियोजना में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित अंचल–सोनो, मौजा–गढ़टाँड़, थाना सं0–22/51, खाता सं0–178 के खेसरा सं0–1555 एवं 2283 के रकबा क्रमशः–10.22 एकड़ एवं 2.50 एकड़ कुल प्रस्तावित रकबा–12.72 एकड़ भूमि बरनार जलाशय परियोजना में प्रयुक्त होने वाले वन भूमि के अपयोजन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

2. स्वीकृति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं रहने पर भूमि स्वतः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लौट जाएगी।

3. अन्य शर्त्तें ख़ास महाल मैनुअल के प्रावधानों एवं समय–समय पर निर्गत राजस्व विभागीय परिपत्रों से आच्छादित होंगे।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

5. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(आजीव वत्सराज)
सहायक निदेशक,
भू–अर्जन–सह–संयुक्त सचिव।

निबंधित

ज्ञापांक–06/खा0 म0 जमुई (क्षतिपूरक)–10/2025– (6)/रा0, पटना–15, दिनांक–..............

प्रतिलिपिः–समाहर्त्ता, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मूल अभिलेख संख्या–06/2024–25 संलग्न कर लौटाई जाती है।

अनु0–यथोक्त।
(मूल अभिलेख संख्या–06/2024–25)

ह0/–
(आजीव वत्सराज)
सहायक निदेशक,
भू–अर्जन–सह–संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–06/खा0 म0 जमुई (क्षतिपूरक)–10/2025– 682 (6)/रा0, पटना–15, दिनांक–15/07/25

प्रतिलिपिः–आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आजीव वत्सराज)
सहायक निदेशक,
भू–अर्जन–सह–संयुक्त सचिव।